विज्ञप्ति संख्या 2314 दि0 04.06.15
कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति की सूचना

1. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण एवं अहर्त्ताधारी आवेदकों से राजकीयकृत प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 04.07.2015 तक स्पीड–पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन–पत्र निम्नांकित पते पर आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 04.07.2015 के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

पता– जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,
स्टेट माईल रोड, बिस्टुपुर
(ऑपोजिट ब्लड बैंक)
पिन कोड– 831001

1. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन–पत्र की सभी प्रविष्टियों को भर कर, उचित स्थान पर पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ चिपकायेंगे एवं आवेदन–पत्र के उचित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन–पत्र के साथ वांछित अभिलेख की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं दो अतिरिक्त फोटोग्राफ संलग्न कर एक लिफाफा में भेजेंगे। लिफाफा के उपर में बड़े अक्षरों में **इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक/इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक (जो लागू हो) पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन** अनिवार्य रूप से अंकित करेंगे तथा लिफाफे पर अपना नाम, पूरा पता एवं दूरभाष/मोबाईल संख्या अंकित करेंगे।

2. नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अहर्ता निम्नवत् हैः–

   i. भारत का नागरिक हो।

   ii. प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 4(ख)(i) में वर्णित निम्नलिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान/प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त किया हो एवं उत्तीर्ण हो।

(अ) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)।

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग /अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड)।

अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

एवं

(ब) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टी०ई०टी०) में उत्तीर्ण

3. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा–1 विषय में हिन्दी एवं अंग्रेजी के साथ परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदक इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक पद पर एवं भाषा–1 विषय में उर्दू एवं अंग्रेजी के साथ परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदक उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

4. जिस जिला में आवेदक नियुक्ति हेतु आवेदन देना चाहते हैं, उस जिला के लिए, लागू किसी एक जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2096, दिनांक 25.04.11 एवं तद्नुरूप झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 13 में निहित प्रावधान के अनुसार दिनांक 01.08.2015 को अधिकतम उम्र सीमा निम्नांकित है, :–

कोटि	**अधिकतम उम्र**	**विकलांगों के लिए अधिकतम उम्र**
अनारक्षित –	35 वर्ष	40 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग –	37 वर्ष	42 वर्ष
महिला – (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	43 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति – (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	45 वर्ष

6. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम 13 में निहित प्रावधान के अनुसार पारा शिक्षक के मामले में सभी कोटि के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष है।

7. झारखण्ड पदों एवं सेवाओं में जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में आरक्षण के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 2020, दिनांक 09.04.10 या प्रभावी अद्यतन आदेश के अनुसार इस नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

8. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रावधानानुसार इस नियुक्ति में झारखण्ड राज्य के निवासी महिलाओं को नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित पद के अन्तर्गत 5 प्रतिशत पद अर्हताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए होगा और ऐसी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य अर्हताधारी महिलाओं से इन पदों को भरा जायेगा।

9. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 7281, दिनांक 01.11.07 या प्रभावी अद्यतन आदेश द्वारा निर्गत संकल्प के अनुरूप जिला स्तरीय सीधी नियुक्ति में निःशक्त व्यक्तियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

10. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 5795, दिनांक 10.10.02 के अनुसार खेलकूद कोटा से दो प्रतिशत पद भी क्षैतिज रूप से आरक्षित है। तद्नुसार, इस नियुक्ति में संकल्प में अंकित प्रावधानान्तर्गत झारखण्ड राज्य के निवासी खेलकूद कोटे के योग्य आवेदकों को नियुक्ति हेतु इस कोटे से आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

11. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के अनुसार शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित् रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत ऐसे अहर्ताधारी पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उस पंचाग वर्ष, जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी, की पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, में से तथा शेष 50 प्रतिशत पद गैर-पारा शिक्षक अहर्ताधारी आवेदकों में से भरा जायेगा के अनुरूप रिक्ति का कोटिवार विवरण निम्नवत् हैः-

(क.) गैर योजना अन्तर्गत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक के रिक्त पदों का कोटिवार विवरणः—

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पद			गैर पारा शिक्षकों के लिए पद		
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण	
			महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक
अनारक्षित	449	225	113	05	224	112	04
अनुसूचित जाति	15	07	04	00	08	04	00
अनुसूचित जनजाति	77	39	19	01	38	19	01
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	70	35	18	01	35	18	01
पिछड़ा वर्ग	54	27	13	00	27	13	01
कुल—	**665**	**333**	**167**	**07**	**332**	**166**	**07**
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षैतिज आरक्षण (3%)		दृष्टि निःशक्तता— 04 मूक बधिर निःशक्तता— 03 चलन निःशक्तता, आदि— 03			दृष्टि निःशक्तता— 04 मूक बधिर निःशक्तता— 03 चलन निःशक्तता, आदि— 03		

(ख.) योजना अन्तर्गत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों का कोटिवार विवरणः—

कोटि	रिक्त पदों की कुल संख्या	कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए पद			गैर पारा शिक्षकों के लिए पद		
		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण		कुल	कुल अन्तर्गत क्षैतिज आरक्षण	
			महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक		महिला	योग्य खिलाड़ी आवेदक
अनारक्षित	197	98	49	02	99	50	02
अनुसूचित जाति	16	08	04	00	08	04	00
अनुसूचित जनजाति	111	56	28	01	55	27	01
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	39	20	10	01	19	10	01
पिछड़ा वर्ग	32	16	08	00	16	08	00
कुल—	**395**	**198**	**99**	**04**	**197**	**99**	**04**
कुल अन्तर्गत निःशक्त आवेदकों हेतु क्षैतिज आरक्षण (3%)		दृष्टि निःशक्तता— 02 मूक बधिर निःशक्तता— 02 चलन निःशक्तता, आदि— 02			दृष्टि निःशक्तता— 02 मूक बधिर निःशक्तता— 02 चलन निःशक्तता, आदि— 02		

12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रदत् जाति एवं आवासीय प्रमाण–पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

13. अहर्त्ताधारी आवेदकों में से उनके लिए चिन्हित रिक्तियों के विरुद्ध जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियमानुसार प्रथम मेधा सूची तैयार की जायेगी, जिसमें कोटिवार अधिकतम उतने ही आवेदकों का नाम शामिल होगा, जितनी रिक्ति उस कोटि विशेष के लिए है। प्रथम कॉंउसिलिंग उपरांत आवश्यकतानुरुप द्वितीय अथवा तृतीय मेधा सूची भी बारी–बारी से तैयार की जा सकेगी एवं कॉंउसिलिंग की जायेगी।

14. कॉंउसिलिंग में सही पाये गये प्रमाण–पत्रों/अहर्ताधारी आवेदकों के आधार पर जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची के प्रकाशनोपरांत शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।

15. किसी भी परिस्थिति में प्रतीक्षा सूची पैनल का निर्माण नहीं किया जायेगा। अगर योगदान नहीं करने के फलस्वरुप कोई रिक्ति रह जाती है तो उसे अगली कार्यसम्पादन में ही विधिवत् भरा जायेगा।

16. शिक्षकों की नियुक्ति मूल कोटि (basic grade) के वेतनमान रू. 9300–34800, ग्रेड पे–4200 में होगी। उच्च योग्यताधारी होने के आधार पर किसी उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जायेगी।

17. शिक्षक नियुक्ति संबंधी आवश्यक सूचनाएँ वेबसाईट (website), www.Jamshedpur.nic.in पर दी जायेंगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाईट पर दी जाने वाली सूचनाओं से अपने को भलीभांति अवगत रखें।

18. इच्छुक आवेदकों को यह सुझाव दिया जाता है कि आवेदन–पत्र में वांछित सभी सूचनाएँ सही–सही एवं साफ–साफ भरेंगे। आवेदन–पत्र में किसी प्रकार का काट–कूट या लिप्तलेखन नहीं रहना चाहिए। भविष्य में कोई भी सूचना/प्रमाण–पत्र गलत/असत्य/जाली पाये जाने पर अभ्यर्थित्व या नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

19. इच्छुक आवेदकों के हित में उन्हें यह भी परामर्श दिया जाता है कि शीघ्रताशीघ्र अपना आवेदन स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक के माध्यम से भेजें। विलंब से/निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

4/6/15

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

फार्म संख्या–

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

आवेदन–पत्र का नमूना

स्वहस्ताक्षरित फोटो

1. आवेदित पद का नामः–
2. आवेदक का नाम
   (देवनागरी में):–
   (रोमन ब्लॉक लेटर में):–
3. पिता/पति का नाम
   (देवनागरी में):–
   (रोमन ब्लॉक लेटर में):–
4. लिंग (महिला/पुरूष) :–
5. अर्हताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिला, कोई एक की स्थिति में जो लागू हो उसका विवरण–
6. स्थायी पता :–
7. स्थायी पता के जिला एवं राज्य का नाम–
8. वर्तमान पता :–
9. जन्म तिथि :– दिनांक 01.08.2015 को आयु :–
   वर्ष/माह/दिन
10. कोटि (सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग) :–
    i. जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम :–
    ii. आवासीय प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम :–
11. विकलांग (हाँ/नहीं) :–
    (क.) यदि हाँ, तो दृष्टि/मूक बधिर/चलन, आदि निःशक्तता (जो आवेदक के मामले में लागू हो) का नाम –
    (ख.) संगत निःशक्तता का प्रतिशत –
    (ग.) निःशक्तता प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले मेडिकल बोर्ड का विवरण अथवा चिकित्सा पदाधिकारी (यदि वे अनुबंध–1 में प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम हों) का नाम एवं पदनाम –
12. आधार संख्या :–
13. पैन कार्ड संख्या :–

14. फोन/मोबाईल संख्या :-

15. ई-मेल :-

16. शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय /परिषद् का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक (अतिरिक्त विषय के अंक को छोड़कर, यदि कोई हो)	कॉलम 6 अनुसार प्राप्तांक का प्रतिशत	अंक पत्र संख्या/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
माध्यमिक							
+2/इन्टर							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							
शिक्षक प्रशिक्षण							
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा							

17. आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता/उत्तीर्णता का विवरण-

(क.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कोर्स का नाम -

(ख.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कोर्स की अवधि -

(ग.) प्रशिक्षण मोड (नियमित/पत्राचार/दूरस्थ शिक्षा) -

(घ.) सत्र-

(ङ.) प्रशिक्षण उत्तीर्णता तिथि-

(च.) प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय का नाम एवं पता -

(छ.) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय एवं उसके संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा सत्र के NCTE द्वारा मान्यता का विवरण (आवेदक के पास मान्यता पत्र उपलब्ध रहने की स्थिति में उसकी प्रति संलग्न करेंगे) –

18. **झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाषा–II में ली गई क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा का नामः–**

19. **अहर्ताधारी योग्य खिलाड़ी आवेदक (हाँ/नहीं) :–**

(क.) यदि हाँ, तो खेल एवं उपलब्धि स्तर (जो आवेदक के मामले में लागू हो) का स्पष्ट विवरण –

(i) –

(ii)–

(iii) –

(iv) –

....

(ख.) उपलब्धि प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले स्तर/संस्थान का विवरण तथा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम –

20. **यदि पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत हो तो :–**

i. विद्यालय का नाम एवं पता जहां कार्यरत हो :–

ii. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा चयन की तिथि :–

iii. विद्यालय में कार्य प्रारंभ करने की तिथिः–

नोट :– **आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों/कागजातों की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य हैः–**

(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा निर्गत मैट्रिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण–पत्र, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।

(ii) शैक्षणिक योग्यता (यथा–मैट्रिक, इण्टर (+2), स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा) का प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र।

(iii) मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशैक्षणिक योग्यता (यथा–द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण/चार वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा) का प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र।

(iv) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र।

(v) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(vi) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रदत् आवासीय प्रमाण–पत्र।

(vii) विकलांग कोटि में नियुक्ति का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुबंध–1 में निर्गत/प्रदत् विकलांगता प्रमाण–पत्र।

(viii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 5795, दिनांक 10.10.02 के प्रावधानानुरूप सक्षम स्तर/प्राधिकार द्वारा निर्गत योग्य खिलाड़ी का प्रमाण–पत्र।

(ix) अर्हताधारी तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत लीगल सेपेरेशन/डायवोर्स (legal seperation/divorce) का प्रमाण–पत्र एवं विधवा महिला की स्थिति में अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत वंशावली प्रमाण–पत्र एवं पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र।

(x) पारा शिक्षक के मामले में उनका चयन/नियुक्ति पत्र तथा संलग्न प्रपत्र में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा प्रदत् प्रमाण–पत्र।

(xi) दो अद्यतन पासपोर्ट साईज कलर फोटो।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

तिथि :– ....

स्थान :– ....